



शपथ पत्र

समक्ष :- जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद देहरादून

मैं सुनील सेठी पुत्र श्री ओम प्रकाश सेठी निवासी 857/833 सिरमौर मार्ग देहरादून घोषण करता हूँ कि .....शपथकर्ता

मैं शपथकर्ता सशपथ निम्न कथन करता हूँ:-

- 1-यह कि मेरा /हमारा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।
- 2-यह कि मैं/हम अपने आवासीय भवन स्थित पता 857/833 सिरमौर मार्ग मे स्वयं के उपयोग के अतिरिक्त अव्यस्थित अतिरिक्त कक्षो छ (6)कक्षों की संख्या को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होमस्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण करने के इच्छुक है।
- 3-यह कि उक्त आवासीय भवन का पूर्ण निजी स्वामित्व मेरा/ हमारा स्वयं का है जिस पर स्वामित्व अथवा कोई झगडा विवाद नही है।
- 4-यह कि मेरे/ हमारे भवन का मानचित्र अनुमोदन/भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई वाद नही है अथवा भवन प्राधिकरण/स्थानीय निकायों के गठन से पूर्व का निर्मित है जिस कारण मानचित्र नही है।/ स्वीकृत नही है। भवन हैरिटेज दृष्टि से पर्यटको से हेतु उपयोगी है उक्त के सम्बन्ध मे विवाद उत्पन्न होने की दशा में /हम इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होउंगा/होगी/ होंगे ऐसी स्थिति मे मेरा/हमारा इस योजनान्तर्गत पंजीकृत निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।
- 5-यह कि मेरे/ हमारे द्वारा अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे)नियमावली 2015 (प्रथम संशोधन नियमावली 2016) तथा समय समय पर जारी संशोधनों में किये गये प्राविधानों/ नियमों /उपनियमों /शर्तों को भली भाति पढ लिया गया है जिसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण से बाध्य होउंगा/होउंगी/ होंगे।

घोषणा

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही है। कोई तथ्य छिपाया नही गया है यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाए तो उसकीपूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐसी स्थिति में मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे इसमें कोई आपत्ति नही होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक 06-07-2017 का मैं/हम शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कबूल करता/करती हूँ/करते हैं।

नाम तथा हस्ताक्षर कर्ता

ATTESTED

6/7/17  
6/7/17

(सुनील सेठी)